

## प्रेस विज्ञप्ति

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बक्सर श्री जटा शंकर पाण्डेय के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में लघु प्रक्षेत्र के अन्तर्गत 19 आवेदक एवं वृहद प्रक्षेत्र के अन्तर्गत 15 आवेदक का चयन किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में लघु प्रक्षेत्र के अन्तर्गत 17 आवेदक एवं वृहद प्रक्षेत्र के अन्तर्गत 14 आवेदक का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के चयनित आवेदकों को सूचित किया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा की प्रति सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बक्सर में जमा करना सुनिश्चित करें ताकि अग्रेतर कारवाई की जा सके। इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बक्सर से प्राप्त किया जा सकता है।

*Stand*  
10/10/19

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,

बक्सर  
29/10/19